जयपुर में यातायात के रीयल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेंटर बनेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेडीए, परिवहन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को दिए निर्देश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के रीयल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की कार्ययोजना बनाने के लिए जेडीए, परिवहन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को आपसी समन्वय से काम करने के विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से इस सेंटर को मॉडल सेंटर भी बनाया जाए। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर शहर के यातायात सुधार के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि, जयपुर शहर में यातायात प्रबंधन एवं सुधार के लिए प्रगतिरत विभिन्न जेडीए प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा में पूरा करें। इस काम में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारी तथा निर्माणकर्ता के विरूद्ध परफॉर्मेंस एवं लिक्विडिटी पैनल्टी की कार्यवाही की जाए। यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की कार्ययोजना को जेडीए एवं यातायात पुलिस संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र लागू करें।

उन्होंने जेडीए को सीबीआई फाटक, सालिग्रामपुरा फाटक एवं सिविल लाइन फाटक आरओबी, गोपालपुरा एलिवेटेड रोड, सांगानेर एलिवेटेड रोड के काम को गति प्रदान करने एवं पूर्ण गुणवत्ता से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने जेएलएन मार्ग पर यातायात प्रबंधन का प्रभावी प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अरण्य भवन-जगतपुरा एलिवेटेड रोड की डीपीआर को शीघ्र तैयार करने, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी अंडरपास तथा राम मंदिर-रेलवे यार्ड-रेलवे सर्किल के बीच वैकल्पिक मार्ग के लिए प्रस्तावित आरओबी की ट्रैफिक दबाव का आकलन कर पुनः फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर भी शीघ्र तैयार की जाए। शर्मा ने कहा कि महल रोड, सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड को सिग्नल फ्री बनाने एवं बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डबल यू-टर्न बनाने की कार्ययोजना पर शीघ्र काम प्रारंभ किया जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि आमजन को जाम से राहत दिलाने के लिए रामबाग चौराहे पर बनाई गई फ्री-लेफ्ट टर्न व्यवस्था को शहर के महत्वपूर्ण व्यस्ततम मार्गों एवं प्रमुख चौराहों पर भी लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जेडीए को ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को संतुलित करने के लिए चिन्हित चौराहों पर लेन निर्धारण एवं गोलचक्कर निर्माण सहित आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए एवं यातायात पुलिस को शहर के प्रमुख मार्गों पर अनियमित मीडियन ओपनिंग को जल्द बंद करने तथा यू-टर्न स्थानों को चिन्हित कर कार्यशील बनाने के लिए भी निर्देशित किया।

शर्मा ने प्रमुख चौराहों और बाजारों में पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए नियंत्रित क्रॉसिंग व्यवस्था को विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए स्पष्ट संकेत बोर्ड, गति नियंत्रण एवं जेबरा क्रॉसिंग की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि महल रोड, डिग्गी रोड और कालवाड़ रोड पर स्कीमों की सेक्टर रोड की कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। वहीं, जेडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस को जयपुर शहर में पार्किंग से संबंधित सभी स्थानों के सुव्यवस्थित एवं नियमानुसार संचालन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यातायात पुलिस को स्वयंसेवी संस्थाओं का साथ लेकर आमजन को नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने एफएम के माध्यम से भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता संदेश प्रसारित करने एवं चालान के साथ संबंधित व्यक्ति को संक्षिप्त नियमावली भी प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री को यातायात पुलिस ने वीओसी मोबाइल एप से की जा रही प्रभावी कार्रवाई, आईटीएमएस, यातायात संचालन में ड्रोन तकनीक से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, वित्त, परिवहन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जिला कलक्टर, जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर शहर के यातायात सुधार के लिए अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली।

- प्रगतिरत आरओबी तथा एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को गति देने, प्रमुख मार्गो पर डबल यू-टर्न और फ्री लेफ्ट टर्न लागू करने के आदेश
- शहर में अनियमित मीडियन ओपनिंग को जल्द बंद करने तथा पार्किंग स्थलों का व्यवस्थित व नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री
- निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वालों पर ठोस कार्यवाही करें, जेएलएन मार्ग पर यातायात प्रबंधन का प्रभावी प्लान बनाएं : भजनलाल शर्मा

विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव समेत 9 लोग बरी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 ने 12 साल पहले छात्र जीवन में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर रास्ता रोककर उपद्रव करने के आरोप से लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित कुल 9 लोगों को मिली सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। एसीजेएम कोर्ट ने गत वर्ष 17 जून को इन्हें एक-एक साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 3200 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि अदालत ने सजा सुनाने के बाद अपील पेश करने के लिए समय देते हुए दोनों विधायकों सहित द्रोण यादव, भानू प्रताप सिंह, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड, वसीम खान, और विद्याधर मील को जमानत पर रिहा कर दिया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि निचली अदालत ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के बाहर जाकर उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इसके अलावा मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर उन्हें बरी किया जाए। मामले के अनुसार 13 अगस्त, 2014 को एसआई ओमप्रकाश ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि विवि के कुलपति की ओर से बिना नंबर की जीप को पकड़ने की सूचना पर वह विवि गया था। वहां छात्र नेता राजेश मीणा और द्रोण यादव सहित अन्य ज्ञापन देने आए थे। करीब दो बजे आरोपियों के नेतृत्व में एनएसयूआई के करीब दो सौ छात्र विवि के बाहर नारेबाजी कर सीसेट का विरोध कर रहे थे।

आम-सूचना

सभी खासो-आम को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता श्री रामबाबू भारद्वाज पुत्र श्री किशनलाल ने अपने स्वामित्व व कब्जे की मांडरी मोहल्ला, थानागाजी, अलवर में स्थित एक आवासीय सम्पत्ति को बिना मेरी सहमति एवं जानकारी के, बेचान कर दिया है। उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व व विक्रय आदि के सम्बन्ध में किसी वाद-विवाद की समस्त जिम्मेदारी श्री रामबाबू भारद्वाज की उनकी वैयक्तिक हैसियत में होगी मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।

चेतन कुमार भारद्वाज

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या रामा देवी, निवसिया-136, रावण का चौराहा, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर का पुत्र राजेश वर्मा उनके कहने में नही है व आये दिन उनसे गाली गलौच अभद्र व्यवहार करता है, इसलिए मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र राजेश वर्मा से अपने सभी संबंध खत्म करके उसे अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पतियों से बेदखल कर दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति / संस्थान ने राजेश वर्मा से किसी भी प्रकार का संव्यवहार किया तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरी अभिभाष्या का उससे कोई संबंध व सरोकार नहीं होगा। सूचित रहे।

जयपुर (सन्दीप सैनी) एडवोकेट
दिनांकः-01.04.2026 मोबाईल नंबर-9829173844

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 114 दिनांक :- 08/04/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 65/43 (MIG-B) का आवंटन श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1298 दिनांक 11-12-1991 को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 23.07.1998 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम जैन पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आवासन मण्डल में रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8364 दिनांक 01.03.2002 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 143/734 दिनांक 09-05-2007 के द्वारा श्रीमती उषा माथुर पत्नी श्री जुगल किशोर माथुर के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 05.06.2007 को कर दिया गया। श्रीमती उषा माथुर की मृत्यु दिनांक 17.05.2025 को हो जाने के कारण उनके पति एवं पुत्र श्री जुगल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री संपत लाल माथुर एवं श्री प्रतीक माथुर पुत्र श्री जुगल किशोर माथुर द्वारा आवासन मण्डल में आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री जुगल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री संपत लाल माथुर एवं श्री प्रतीक माथुर पुत्र श्री जुगल किशोर माथुर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर- 171/27 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की सभी ओरिजिनल जमा रसीद कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें चित्रा अग्रवाल- 9612186980

हमारे प्लॉट नम्बर 04, स्कीम शिव कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है के असल दस्तावेजों मे पंजीकृत मूल वसीयत दिनांक 11.08.2008 कहीं गुम हो गयी। मिलने पर सूचित करे। प्रशांत लक्षकार - 9950510420, विनोद लक्षकार- 8107035775

NAME CHANGE

I Beena Kumari Sharma, daughter of Shri Kishan Lal Sharma, resident of A-14, Sanjay Colony, RPA Road, Panipech, Jaipur, hereby declare that my name has been incorrectly entered as "Beena Kumari Sharma" in my educational documents, whereas my correct name is "BEENA SHARMA." Henceforth, I shall be known and called as BEENA SHARMA for all purposes.

I army no 2895634M Ex Hav Daryiao singh resident of A-5 T C nagar panchyawala Jaipur 302034 that i want to change name of my spouse from UMARAO DEVI to UMARAO KUMARI vide affidavit dated 6 apr 2026 before sub divisional magistrate Jaipur city north.

मेरे पेंशन प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रेम देवी पत्नी नैहनाराम अंकित है। जिसे संशोधित कर प्रेम लता करवा लिया है। भविष्य में मुझे प्रेम लता के नाम से जाने जावे। निवास-40, सैनी कॉलोनी प्रथम, करतारपुरा जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

होटल, ईंट भट्टा व घरों में बिजली चोरी के 7 मामले पकड़े

जयपुर, (कासं)। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने गुरूवार को जगतपुरा एवं कानोता क्षेत्र में विद्युत चोरी के 7 मामले पकड़े। इनमें 12 लाख 87 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि कानोता क्षेत्र में दो होटल बिजली चोरी से संचालित पाये गये। जिस पर 3 लाख 37 हजार 335 रूपए एवं 87 हजार 950 रूपए का जुर्माना निर्धारित किया गया। इसके उपरान्त ग्राम हिंगोनिया रिंग रोड पर एक ईंट भट्टे में बिजली चोरी पायी गयी, जिस पर 3 लाख 53 हजार 827 रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त 2 घरेलू परिसरों की भी वीसीआर भरी गयी, जिनमें 1 लाख 70 हजार 57 रूपए तथा 1 लाख 54 हजार 698 रूपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

जल जीवन मिशन घोटाले में रिटायर्ड आई.ए.एस. सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार

एसीबी टीम उन्हें दिल्ली से हिरासत में लेकर जयपुर लाई

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जल जीवन मिशन से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया। पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जेजेएम घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी था।

एसीबी के महानिदेशक (डीजी) गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं साल 2024 में शुरू हुई जांच में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 आरोपी फरार है।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी मे मामला दर्ज होने के बाद सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं कर करीब 960 करोड़ रुपए के कार्य प्राप्त किए गए। मामले में विभिन्न फर्मों और उच्च स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापक भ्रष्टाचार किया जाना सामने आया है।

- अग्रवाल के खिलाफ जेजेएम घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी था

जांच में यह भी सामने आया कि बड़े प्रोजेक्ट्स (50 करोड़ रुपए से अधिक) की निविदाओं में नियमों के विपरीत शर्तें जोड़कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, जिसमें 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक प्रीमियम पर टेंडर स्वीकृत किए गए। इन टेंडरों की कुल राशि करीब 20 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है।

एसीबी ने बताया कि इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए गए हैं और उन्हें घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।

गौरतलब है कि एसीबी ने जेजेएम घोटाले को लेकर 17 फरवरी को बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, बिहार, झारखंड और दिल्ली सहित कुल 15 जगहों पर छापेमारी की गई थी।

जांच में फर्जी बिल, वित्तीय गड़बड़ियों और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता सामने आई थी। 17 फरवरी को ही सुबोध अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी की गई थी। इसी दिन जलदाय विभाग के 9 अफसरों को पकड़ा गया था। 18 फरवरी को सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ था।

प्रकरण में विस्तृत जांच जारी है और तकनीकी व दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है तथा आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं।

"ट्री हाऊस हाई स्कूल" में तीसरे दिन भी नहीं हुई बच्चों की पढ़ाई

स्कूल बंद करने के निर्णय के विरोध में अभिभावक लगातार दूसरे दिन भी परेशान हुए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में "ट्री हाऊस हाई स्कूल" तीसरे दिन गुरूवार को भी बंद रहा। बच्चे और अभिभावक स्कूल तो पहुंचे, लेकिन अध्यापन कार्य नहीं हुआ। ऐसे में दिनभर अभिभावकों ने स्कूल सुचारू करने को लेकर प्रिंसिपल से माथापच्ची की, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि फिलहाल स्कूल संचालित नहीं हो पायेगा।

जिन अभिभावकों ने स्कूल फीस, किताबों व अन्य सामग्री के लिए भुगतान कर दिया है, उन्हें हम रिफंड कर देंगे। कुछ अभिभावकों को स्कूल की ओर से चैक दिए जाने की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन उन्हें भुगतान कब होगा और कितना होगा, इसके बार अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। जबकि कुछ लोगों से फीस रिफंड व टी.सी. प्राप्त के लिए फॉर्म भरवाए गए, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें पैसा कब लौटाया जाएगा। परंतु अभिभावकों को स्कूल संचालकों पर बिलकुल भी भरोसा नहीं है कि, वह पैसा लौटाएगा। क्योंकि जो स्कूल पिछले 4 साल से बिल्डिंग का किराया नहीं चुका रहा, वह अभिभावकों के साथ खरा उतरेगा, इसकी क्या गारंटी है। इस विवाद के बीच बच्चों की पढ़ाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर शिक्षा विभाग ने भी अभी तक स्कूल संचालकों पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन अभिभावकों को है, जिनके बच्चों का एडमिशन आर.टी.ई. के जरिए हुआ था, लेकिन अब अगर स्कूल बंद होता है तो इन बच्चों को अन्य स्कूलों में भी दाखिला कैसे मिलेगा, क्योंकि हर स्कूल का निर्धारित कोटा होता है।

ज्ञात रहे कि, स्कूल संचालक विद्या भारती समिति ने यह बिल्डिंग और जगह अरिहंत एंटरप्राइजेज़ के मालिक विनय चौरडिया से 10.67 लाख रु. प्रतिमाह किराये पर ली गई थी। परंतु पिछले 4 वर्षो से स्कूल संचालक राजेश भाटिया किराया नहीं चुका पा रहे, जिस पर दोनों पक्षों के बीच बकाया 4.21 करोड़ रुपए को लेकर भारी विवाद है। इसी बीच राजेश भाटिया गत मंगलवार को अभिभावकों को सूचना दिए बिना ही स्कूल की इमारत का कब्जा विनय चौरडिया को सौंपकर मुंबई चले गए। अब स्कूल में एडमिशन लेकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की फीस दे चुके बच्चों तथा अभिभावकों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों के भविष्य और पढ़ाई का आगे क्या होगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल गत मंगलवार से "ट्री हाऊस हाई स्कूल" में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल में फिलहाल 180 से ज्यादा विद्यार्थी है। स्कूल प्रशासन ने मंगलवार को पेयजल संकट बताते हुए छुट्टी कर दी थी। बुधवार को जब स्कूल में 50-60 अभिभावक पहुंचे तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इस पर अभिभावकों की स्कूल प्रिंसिपल से तनातनी हो गयी थी। जिसके कारण गुरूवार सुबह 11 बजे जब प्रिंसिपल स्कूल में पहुंची तो उनके साथ पुलिस सुरक्षा भी थी। परंतु अभिभावकों की नाराजगी पूर्ववत थी। नाराज अभिभावकों ने पिछले 3 दिनों से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। लगभग सभी विद्यार्थी गुरूवार को भी स्कूल पहुंचे थे। इसके पीछे कारण यह था कि बुधवार को सिविल लाइंस विधायक जब मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने दावा किया था कि वे स्कूल में पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। परंतु विधायक के वादे को धत्त बताते हुए स्कूल गुरूवार को भी बंद रखा गया।

अभिभावकों का कहना है कि, राजेश भाटिया और विनय चौरडिया ने आपस में क्या समझौता किया, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। इन दोनों ने आपसी राजीनामे से अपना-अपना हित तो साध लिया, लेकिन किसी ने भी विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी समझनी ही नहीं चाही। इन दोनों ने ना तो किसी अभिभावक से इस बारे में बात की और ना ही किसी विद्यार्थी को स्कूल बंद करने की कोई जानकारी दी। ऐसे में सभी अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। अगर यह मामला कोर्ट के आदेश पर निपटाया गया होता तो अदालत बच्चों और अभिभावकों के हितों का ध्यान रखती।

उधर अभिभावक जहां एक ओर "ट्री हाऊस हाई स्कूल" में जमा करवा चुके फीस को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरा बड़ा चिंता का विषय यह भी है कि अन्य स्कूलो में अब उनके बच्चों को दाखिल मिल भी पाएगा या नहीं। क्योंकि वर्ष 2026-27 का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 9 दिन का समय बीत चुका है, ऐसे में लगभग सभी स्कूलों में सीटें भर गयी है। गुरूवार को भी स्कूल में जब अभिभावकों के विरोध और नाराजगी से हंगामे की स्थिति बनी तो विधायक गोपाल शर्मा स्कूल में पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को इस मामले को लेकर कमेटी बनाने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने तथा बच्चों की पढ़ाई नियमित रखने जैसे वादे पुनः किए। परंतु अभिभावकों ने साफ कह दिया कि, शुक्रवार को हम स्वयं शिक्षा विभाग जाकर स्कूल बंद करने की शिकायत दर्ज करवाएंगे।

राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में "ट्री हाऊस हाई स्कूल" तीसरे दिन गुरूवार को भी बंद रहा, जिसे लेकर अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताई।

- प्रिंसिपल ने कुछ अभिभावकों को चैक से फीस रिफंड करने का वादा किया, लेकिन अभिभावक उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते
- अभिभावकों ने साफ कहा है कि जो स्कूल पिछले 4 साल से किराया नहीं चुका रहा, वह अभिभावकों की फीस लौटाएगा, इसकी क्या गारंटी है?
- सबसे ज्यादा परेशानी उन अभिभावकों को है, जिनके बच्चों का एडमिशन आरटीई में हुआ, अगर स्कूल बंद होता है तो इन बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला कैसे मिलेगा, क्योंकि हर स्कूल का निर्धारित कोटा होता है।
- स्कूल संचालकों की मनमानी और 3 दिन से पढ़ाई नहीं करवाने की शिकायतें शुक्रवार को शिक्षा विभाग से करेंगे अभिभावक

उद्घोषणा (इश्तेहार) बैजरिये न्यायालय
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या.01, सांभर लेक, जिला-जयपुर, राज.
प्रार्थना पत्र संख्या 06/2026
मोहनलाल कुमावत
बनाम
हर खास व आम
विषयः- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत चिरंजीलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद की संरक्षकता का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र।
अंतर्गत धारा 10 वार्ड्स एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1890

प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद कुमावत, जाति-कुमावत, उम्र 58 वर्ष, निवासी बड़ की ढाणी पोस्ट-काचरोदा, फुलेरा तहसील-फुलेरा, जिला-जयपुर राजस्थान मो.नं.-9799395574
ता0 पेशी दिनांक 29-04-2026 08 AM
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी नें इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उसके छोटे भाई चिरंजीलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद कुमावत जो कि अप्राप्तवय अनसाउंड ऑफ माइन्ड है, इसलिये उनकी देखभाल इत्यादि के लिये उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके पक्ष में संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम सन 1890 के तहत मोहनलाल कुमावत को उसके भाई चिरंजीलाल कुमावत की संरक्षकता प्रदान की जावे।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29 माह अप्रैल सन 2026 को उपस्थित होकर आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 06 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, सांभर लेक जिला जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) 01/2026
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी का नाम हृदयांशी वर्मा पुत्री विजय वर्मा जाति बलाई निवासी पत्थर मंडी, मिण्डा मार्ग, रेनवाल तह.कि. रेनवाल जिला जयपुर (राज.) मृतक सोना वर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 21/04/2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक सोना वर्मा का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 04 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 09 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 01 सांभर लेक जिला जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1729
चूंकि प्रार्थी श्री शिव शंकर मंघनानी, 51/137, प्रताप नगर, सेक्टर-5 के पीछे, प्रताप प्लाजा, सांगानेर, जयपुर 302033 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री अधोरधाम चैरिटेबल ट्रस्ट, F-17, RAJPUTANA TOWER B, KHATIPURA, JASWANT NAGAR, NEAR MARUDHAR HOSPITAL, JAIPUR-302012 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1898
चूंकि प्रार्थी श्री PRATIBHA BHATNAGAR, 14/135, KAVERI PATH, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज 14/135, KAVERI PATH, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय ग्राम पंचायत टुमलीबास पं.स. चाकसू, जिला जयपुर (राज.)
क्रमांकः- ग्रापंचं / 2026-27/127 दिनांक :- 03/04/2026
ई-निविदा सूचना 01/2026-27
पंचायत समिति चाकसू के अधीनस्थ ग्राम पंचायत टमलीका बाम में वित्तिय वर्ष 2026-27 के लिये समस्त गावों में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जीएसटी में पंजिकृत निविदादाताओं / फर्मो से "दर संविदा" के लिये ऑनलाइन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। ई निविदा ग्राम पंचायत टूमलीका वाम प.स. चाकसू के नाम प्रस्तुत करनी होगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
सरदार सिंह राजपुत **ग्राम विकास अधिकारी** **ग्राम पंचायत टुमलीबास** **पंचायत समिति चाकसू, जयपुर**
NIB No - PFD2627A0008
UBN No - PFD2627WSO B00010
कन्हैयालाल शर्मा **प्रशासक** **ग्राम पंचायत टुमलीबास** **पंचायत समिति चाकसू, जयपुर**

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ / 2026 / 16 दिनांकः 07.04.2026
-:: ई-निविदा सूचना संख्या 01 /2026-27 ::-
नगर निगम जयपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु नगर निगम जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के अनुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in पर निम्न **UBN No. JMC2627WSOB00004** पर देखा जा सकता हैं। इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक हैं।
अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद / सी / 26 / 587

राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर रजि.नं. 2877/एल
खण्डन आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजि. नं. 2877/एल द्वारा दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत के पेज नम्बर-5 पर एक आम सूचना जरिये मंत्री प्रकाशित करवाई गयी थी, जिसमें राजेन्द्र नगर आगरा रोड, कानोता, जयपुर में सोसायटी की कोई योजना विकसित या सृजित नहीं करने व समिति द्वारा योजना आवंटन पत्र भी जारी नहीं करने की आम सूचना प्रकाशित करवाई गयी थी तथा यह भी अंकित किया गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति इस फर्जी योजना राजेन्द्र नगर, आगरा रोड जयपुर के भूखण्ड या आवंटन-पत्र प्राप्त करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
किन्तु अब सोसायटी को जरिये संयोजक राजेन्द्र प्रसाद मित्तल द्वारा सोसायटी को अवगत करवाया गया है कि राजेन्द्र नगर आगरा रोड कानोता जयपुर आवासीय योजना पूर्व पदाधिकारी ग्यारसी लाल बैरवा अध्यक्ष व मोती लाल मंत्री द्वारा सृजित की गयी थी, जिसका रिकॉर्ड भी सहकारी समिति विभाग में जमा करवा दिया था। इसलिए सोसायटी द्वारा प्रकाशित करवाई गयी आम सूचना दिनांक 08.05.2022 को सोसायटी खण्डन करते हुये निरस्त करती है। राजेन्द्र नगर योजना उपरजिस्ट्रार सहकारिता विभाग में जमा रिकार्ड से मालूम चला कि यह योजना फर्जी नहीं है और न हीं इसके आवंटन पत्र और यह योजना राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना है। समस्त सूचित रहे।
मंत्री,
राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर